

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 671 / जि0प0 / नक्शा नि0 / 2013-2014

दिनांक 30 अगस्त 2014

श्री मजिस्टर सिंह व शैल सिंह
गम-लौलाई
विकास खण्ड-चिनहट
तहसील-सदर
जनपद- लखनऊ।



आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा लौलाई विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 298 प्रस्तावित अपार्टमेन्ट भवन के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया 2524.06 वर्गमीटर पर मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

Soct
STILT + FLOOR

- 1-प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाय।
- 2-जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
- 3-मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे।
- 4-प्रतिबन्ध रहेगा कि आवासीय भवनों का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया 2524.06 वर्गमीटर (प्लॉटिंग 9675.85 तथा आवासीय भवनों 13917.84 वर्गमीटर) ही कराया जाये।
- 5-प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।